

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
सवाई माधोपुर

क्रमांक: स्था./प.15/विविध/आदेश/1/2017/232


दिनांक 06.12.2017

आदेश

राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या F.3(33)DOP/A-II/85 Jaipur Dated 19-07-2017 द्वारा, राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (ii) 'क' एवं 'ख' में किए गए संशोधन एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक स्था.(अधि.न्याय)/02 दिनांक 23.09.2017 द्वारा न्यायक्षेत्रों में वर्तमान में स्वीकृत कुल पदों का पुनर्निर्धारण किया गया है, जिनके परिणामस्वरूप न्यायक्षेत्र में स्वीकृत पदों में से क्रमोन्नत किए गए पदों के फलस्वरूप निम्न कर्मचारीगण को आशुलिपिक ग्रेड - III से आशुलिपिक ग्रेड - II के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन न्यायालय का नाम
1	श्री अब्दुल वहीद	पारिवारिक न्यायालय, सवाई माधोपुर
2	श्री गोपाल सक्सेना	न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
3	श्री पूना राम मीना	न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

क्रमांक 01 व 02 पर अंकित क्रमशः श्री अब्दुल वहीद एवं श्री गोपाल सक्सेना को आशुलिपिक ग्रेड - II के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त पर प्रदत्त की गई है, विभागीय परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण नहीं करने पर उन्हें उनके पदोन्नति से पूर्व धारित पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जावेगा।


  
(महावीर प्रसाद शर्मा)  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
सवाई माधोपुर

क्रमांक: स्था./8625-31

दिनांक 06.12.2017

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सवाई माधोपुर
3. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी/सवाई माधोपुर
4. सर्वश्री अब्दुल वहीद/गोपाल सक्सेना/पूना राम मीना को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. आदेश/निजी/सम्बन्धित पत्रावली

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
सवाई माधोपुर